



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड—3 उप-खंड (ii)  
PART II—Section—3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 338 ]  
No. 338 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 1997/ज्येष्ठ 16, 1919  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 1997/JYAISTHA 16, 1919

जन-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 1997

का.आ. 432 (अ).—केन्द्र सरकार ने थाणे-भिवण्डी बाईपास जो (—) 0/115 कि.मी. (थाणे में माझी वाड़ी जंक्शन) से 23/509 कि. मी. तक (539/500 कि.मी. पर मुम्बई-आगरा सड़क पर मिलता है और इसमें रेती बन्दर में मुम्बई-पुणे सड़क को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग और धुमावदार सड़कें शामिल हैं) राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा है, के विकास के लिए मै. आइडियल रोड बिल्डर्स प्राइवेट लि., 501, दत्ताश्रम, हिन्दू कालोनी, गली नं. 1, दादर, मुम्बई-400014 के साथ एक समझौता किया है।

केन्द्र सरकार ने उक्त थाणे-भिवण्डी बाइपास के निर्माण, रख-रखाव, प्रबंधन और प्रचालन में निहित व्यय, निवेश की गई पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात की मात्रा और ऐसे समझौते की अवधि को ध्यान में रखकर शुल्क की दरें और शुल्क वसूली की अवधि निर्धारित करने का निर्णय लिया है। अतः अब केन्द्र सरकार, "राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों/राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क की वसूली) नियमावली, 1997 जिसे इसमें आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम 3 के उपनियम 1 के साथ पठित उपनियम 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त समझौते और उक्त नियमावली की शर्तों के अधीन इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर 12 जून, 1997 से 11 फरवरी, 2005 तक विभिन्न किस्म के यांत्रिक वाहनों से शुल्क वसूलने और अपने पास रखने के लिए मै. आइडियल रोड बिल्डर्स प्राइवेट लि., 501, दत्ताश्रम, हिन्दू कालोनी, गली नं. 1, दादर, मुम्बई-400014 को प्राधिकृत करने का निर्णय लेती है।

## अनुसूची

(थाणे-भिवण्डी बाइपास के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क दरें)

क्रम सं.	वाहन की किस्म	प्रति वाहन प्रति ट्रिप शुल्क की दरें रुपयों में	
		यदि वाहन थाणे-भिवण्डी बाईपास के भाग का प्रयोग कर रहे हैं अर्थात् थाणे की ओर से प्रवेश करने वाले और पुणे की ओर जाने वाले अथवा पुणे से थाणे की ओर जाने वाले वाहन	यदि वाहन थाणे-भिवण्डी तक पूरे बाईपास का प्रयोग कर रहे हैं अर्थात् थाणे/पुणे की ओर से आने वाले और नासिक की ओर जाने वाले अथवा नासिक की ओर से थाणे /पुणे की ओर जाने वाले वाहन
1	2	3	4
1.	मोटर साइकिल, स्कूटर अथवा यंत्र चालित कोई अन्य दुपहिया वाहन	शून्य	शून्य
2.	मोटरकार, टैक्सी, जीप, पिकअप वैन, स्टेशन वैन, टैम्पू, आटोरिक्शा तिपहिया स्कूटर अथवा ट्रेलरयुक्त या ट्रेलर रहित अन्य हल्का वाहन	5.00	10.00
3.	बस, ट्रक तथा माल/यात्रियों से लदा अथवा खाली ट्रेलर युक्त ट्रक सहित अन्य भारी वाहन	15.00	30.00
4.	मोबाइल क्रेन डोजर, अर्थ मूवर, रोड रोलर आदि जैसे अन्य यंत्र चालित वाहन जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है ।	20.00	40.00

नोट : जब किसी वाहन को एक दिन में एक बार से अधिक बार बाइपास से गुजरना है तो प्रयोक्ता पहली बार बाइपास से गुजरते समय उपर्युक्त दरों के डेढ़ गुणा का भुगतान कर सकता है अथवा यदि वाहन को निरन्तर और पूरे माह तथा और लम्बी अवधि तक बार-बार बाइपास का प्रयोग करना है तो वाहन मालिक 30 एकल दरों के बराबर प्रभारों का भुगतान करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

2. निम्नलिखित किस्म के वाहनों को पथकर से छूट दी जाती है :-

- (i) रक्षा वाहन
- (ii) वी आई पी संकेत वाले वाहन
- (iii) पुलिस वाहन
- (iv) अग्निशमन वाहन
- (v) एम्बुलेंस
- (vi) शवयात्रा वैन
- (vii) डाक और तार विभाग के वाहन
- (viii) केन्द्र और राज्य सरकार के वाहन जो ड्यूटी पर हैं ।

3. निम्नलिखित वाहन वी आई पी संकेत युक्त वाहन माने जाएंगे :-

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, केन्द्र और राज्यों के मंत्री, लोकसभा/राज्य सभा, राज्य विधानमंडल में विपक्ष के नेता जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, राज्यपाल/उपराज्यपाल/कार्यकारी पार्षद/लोकसभा अध्यक्ष/राज्य विधान मंडलों के अध्यक्ष, भारत की यात्रा पर आए विदेशी उच्च पदाधिकारी, भारत में नियुक्त विदेशी राजनयिक जो सी डी संकेत वाली कारों का प्रयोग करते हैं ।

उपर्युक्त दर/दरें बाइपास के समीप लगाए जाने वाले बोर्ड/बोर्डों पर प्रदर्शित की जाएं । एजेंट पथकर की वसूली के प्रत्येक अवसर पर रसीद देगा ।

[आर. डब्ल्यू/एन एच/15013/37/94-पी एल]

ए. डी. नारायण, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 1997

S. O. 432(E).—Whereas the Central Government has entered into an agreement with M/s Ideal Road Builders Private Limited, 501, Dattashram, Hindu Colony, Lane No. 1, Dadar, Bombay-400014 for the development of Thane-Bhiwandi Bypass which is part of National Highways starting from KM(—)0/115 (Majiwadi Junction at Thane) to Km 23/509 (joining Bombay Agra Road at Km 539/500 and includes links and loops to connect Bombay Pune Road at Reti Bunder).

And whereas, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Thane-Bhiwandi bypass, interest on the capital invested, reasonable returns, the volume of traffic and the period of such agreement; the Central Government has decided to determine the rates of fee and period of fee collection. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-rule 2 read with sub rule 1 of rule 3 of "National Highways (Collection of fees by any person for the use of sections of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules 1997 hereinafter referred to as the said rules, the Central Government hereby decides to authorise M/s Ideal Road Builders Private Limited, 501, Dattashram, Hindu Colony, Lane No. 1, Dadar, Bombay-400014 to collect and retain the fees from different categories of mechanical vehicles from 12th June 1997 to 11th February 2005 at the rates specified in the schedule Annexed herewith subject to the terms and conditions of the said agreement and the said rules.

## SCHEDULE

## (RATES OF FEES TO BE RECOVERED FROM THE USERS OF THANE-BHIWANDI BYPASS)

S. No.	Category of Vehicle	Rate of fee per Vehicle per trip in Rupees	
		If vehicles are using part of Thane-Bhiwandi Bypass i.e; Vehicles entering from Thane side and leaving towards Pune side or vice versa	If vehicles are using nearly full length of Thane-Bhiwandi Bypass i.e; Vehicles entering from Thane side/Pune side and leaving towards Nasik side or vice versa
1.	2.	3.	4.
1.	Motor-Cycle, Scooter or any other two-wheeler mechanically propelled vehicle.	Nil	Nil
2.	Motor Car, Taxi, Jeep, Pick-up Van, Station Wagon, Tempo, Auto Rikshaw, Three Wheeler Scooters or other Light Vehicles with or without trailer	5.00	10.00
3.	Bus, Truck and other heavy vehicles including truck trailer combination laden with goods/passengers or unladen.	15.00	30.00

1	2	3	4
4.	Other mechanically propelled vehicles not mentioned above like mobile crane dozers, earth movers, road rollers etc.	20.00	40.00

Note :—When the same vehicle has to cross the bypass more than once in a day, the users shall have the option to pay one and half times the above rates while crossing the bypass in the first trip itself or if the vehicle has to use the bypass continuously and quite frequently for entire month or even beyond that for much longer period, the vehicle owner can have a monthly pass on the payment of charges equal to 30 single rates.

2. Following types of vehicles are exempted from the toll.

- (i) Defence vehicles.
- (ii) Vehicles with VIP Symbols.
- (iii) Police Vehicles
- (iv) Fire fighting vehicles
- (v) Ambulances
- (vi) Funeral Vans
- (vii) Post and Telegraph Department Vehicles.
- (viii) Central and State Government Vehicles on Duty.

3. The following vehicles shall be deemed to be vehicles having VIP Symbols :—

President and Vice-President of India, Central and State Minister, Leaders of Opposition in Lok Sabha/Rajya Sabha, State Legislatures having the status of Cabinet Minister/Governor/Lt. Governors/Executive Councillors/Speakers/Chairmen of Central and State Legislatures, Foreign dignitaries on State visit to India, Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD Symbols.

The above mentioned rate/s be displayed on board/s erected in the vicinity of the bypass. The agent shall pass a receipt on each and every occasion of recovery of toll.

[RW/NH-15013/37/94-PL]

A. D. NARAIN, Director General (Road Development) & Addl. Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 1997

का. आ. 433(अ).—केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निदेश देती है कि संलग्न अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास अथवा रख-रखाव से संबंधित कार्यों का निष्पादन उक्त अनुसूची के कालम 3 में ऐसे राजमार्ग के सामने विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा भी इस शर्त के अधीन किया जा सकेगा कि ऐसे कार्यों को करने वाली संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन बने तत्समय प्रवृत्त नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

#### अनुसूची

क्रम सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य सरकार का नाम
1	2	3
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग 57 का वह खंड जो बिहार राज्य के भीतर अवस्थित है।	बिहार राज्य सरकार

[सं० एन एच-14014/8/96-पी एल]

ए. डी. नारायण, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 1997

S. O. 433(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works relating to development or maintenance of the national highway described in column 2 of the Schedule hereto annexed shall be exercisable also by the State Government specified in column 3 of the said Schedule against such highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force made under the said Act.

## SCHEDULE

Serial number	Description of the National Highway	Name of the State Government
1	2	3
1.	So much of National Highway No. 57 as is situated within the State of Bihar.	State Government of Bihar.

[No. NH-14014/8/96-PL]

A. D. NARAIN, Director General (Road Development) and Addl. Secy.